[2021] 10 एस. सी. आर. 1061

सुरिंदर सिंह

बनाम

राज्य (चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र)

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 2373)

26 नवंबर, 2021

[एन. वी. रमना, सीजेआई, सूर्या कान्ट और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - s.307-हत्या का प्रयास-अपीलार्थी हेड कांस्टेबल यू/दोषी ठहराए गए s.307 और s। 27 शस्त्र अधिनियम, दोनों अपराधों के लिए 3 साल के कठोर कारावास की सजा

अपील की गई: अपीलार्थी नशे की हालत में था जब वह

शिकायतकर्ता के आवासीय कार्यालय में प्रवेश किया-पानी पीने के बाद उसने अपनी पिस्तौल निकाली और शिकायतकर्ता पर निशाना साधा, जिसके बाद उसने पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 को कमरे से बाहर निकलने का निर्देश दिया-सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट से साबित होता है कि शिकायतकर्ता के कार्यालय से बरामद कारतुस अपीलार्थी से बरामद सर्विस पिस्तौल से दागा गया था।

हालाँकि, अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता को मारने की लालसा के लिए अपीलार्थी को किसी भी उद्देश्य के लिए जिम्मेदार ठहराने में विफल रहा, हालाँकि, अकेले उद्देश्य का अभाव अपीलार्थी के अपराध को खारिज नहीं कर सकता है-यू/कन्विक्शन s.307 पूरी तरह से उचित-हालाँकि, लाइसेंस प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति का अवैध उपयोग।

प्रति स्वीकृत हथियार एक अपराध नहीं है एस. 27, शस्त्र अधिनियम यू/एस. एस. के तहत दुराचार को साबित किए बिना। 5 या 7, शस्त्र अधिनियम दोषसिद्धि और अपीलार्थी को दी गई सजा धारा 27, शस्त्र अधिनियम को दरकिनार कर दिया गया-इसके अलावा, घटना 1999 में हुई-घटना से पहले और बाद में, अपीलार्थी के स्पष्ट रिकॉर्ड के साथ एक लंबी अवधि के पारित होने को देखते हुए, सजा यू / s.307 को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि-शस्त्र अधिनियम, 1959-ss कर दिया गया है। 5 , 7 , 27- हथियार

संशोधन अधिनियम, 1988-भारत का संविधान-कला। 14 , 136 .

भारत का संविधान-कला। 136 - आपराधिक अपीलों के तहत शक्तियों का प्रयोग-चर्चा की गई।

दंड संहिता, 1860 - s.307-सामग्री-आयोजित: अपराध के गठन के लिए विचार किए जाने वाले दो तत्व s.307

पहला, पीड़ित की मृत्यु का कारण बनने के लिए अभियुक्त की ओर से इरादा या ज्ञान और दूसरा, इस तरह के इरादे या ज्ञान के बाद उसके निष्पादन में कुछ स्पष्ट कार्य कारण हैं, भले ही पीड़ित को कोई चोट लगी हो या नहीं।

[2021] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक कानून-साक्षय-उद्देश्य-आरोप यू / s.307, आई. पी. सी.-उद्देश्य की अनुपस्थिति-जब घातक नहीं-चर्चा की गई दंड संहिता,

1860 एस. 307 .

शस्त्र अधिनियम, 1959-ss. 5 , 7 , 27 – संशोधन से पहले और बाद में आयोजितः संशोधन से पहले, एस. 27 ने किसी भी हथियार के उपयोग को दंडित किया और

किसी भी 'गैरकानूनी उद्देश्य' के लिए गोला-बारूद-हालांकि, संशोधन के बाद, एस. 27 सख्ती से यू/एस. एस. में से किसी एक उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन तक सीमित है। 5 या 7 और हथियारों और गोला-बारूद का उपयोग करने का 'गैरकानूनी उद्देश्य' अब इसका एक अविभाज्य घटक नहीं है अपराध-शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 1988।

वाक्य/सजा-वाक्य की मात्रा-आनुपातिकता का सिद्धांत-वाक्य का शमन-चर्चा-संविधान

भारत की-कला। 14 .

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशाल शक्तियाँ निहित हैं, फिर भी, अनुरोध करते हुए

विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील में ऐसी शक्तियाँ, यह न्यायालय आम तौर पर नए सिरे से पुनर्मूल्यांकन करने से परहेज करेगा

साक्षय और गवाहों की विश्वसनीयता पर संदेह करते हैं जब एक

तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष, कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। [पैरा 17] [1071-ए-बी] 2.1 आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध गठित करने के उद्देश्य से, दो तत्व हैं जिन पर अदालत को विचार करना चाहिएः

पहला, क्या आरोपी की ओर से पीड़ित की मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा या जानकारी थी, और दूसरा, इस तरह के इरादे या जानकारी के बाद उसके निष्पादन में कुछ स्पष्ट कार्य किया गया था, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि पीड़ित को कोई चोट लगी है या नहीं। न्यायालय अभियुक्त और उसके आसपास के लोगों के आचरण से इस तरह के इरादे का अनुमान लगा सकते हैं।

उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति या चोट की प्रकृति, यदि कोई हो, सहित अपराध की परिस्थितियाँ। जिस तरह से घटना हुई वह पीड़ित के विवेकपूर्ण पलायन से अधिक ज्ञानवर्धक हो सकती है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि आई. पी. सी. की धारा 307 को लागू करने के लिए पीड़ित को अपने जीवन के लिए खतरनाक चोट का सामना करना पड़े। [पैरा 20] [1072-ई-जी]

2.2 ' अभिप्रेरणा 'वस्तु और साधन' से अलग है जो किसी क्रिया को उत्तेजित या उत्तेजित करता है। 'इरादे' के विपरीत, 'मकसद' सुरिंदर सिंह बनाम है।

राज्य (चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र)

अपराध का पैमाना नहीं। गलत उद्देश्य के साथ एक वैध कार्य एक अपराध नहीं होगा, लेकिन यह तब सच नहीं हो सकता है जब एक गैरकानूनी कार्य सर्वोत्तम उद्देश्य के साथ किया जाता है। जबकि उद्देश्य अचूक रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है, और एक अपराध के अपराध को उजागर करने के लिए एक पर्याप्त सहायता है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति, हालांकि, ऐसा सर्वोत्कृष्ट घटक नहीं है जिसे अपराध के लिए घातक माना जा सके। अभियोजन पक्ष का मामला, विशेष रूप से जब अन्य सभी कारक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हैं और दुर्व्यवहार की घटना के चश्मदीद गवाह रिकॉर्ड में होते हैं। [पारस 22,24] [1073-ए-बी, ई-एफ]

शिकायतकर्ता का आवासीय कार्यालय। शिकायतकर्ता और पीडब्लू-4 दोनों ने स्पष्ट रूप से इस बात की गवाही दी है कि पानी पीने के बाद अपीलार्थी ने अपनी पिस्तौल निकाली और शिकायतकर्ता पर निशाना साधा, जिसके बाद उसने पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 को कमरे से बाहर निकलने का निर्देश दिया। आपत्तिजनक हथियार एक अर्ध-लोडर/अर्ध-स्वचालित पिस्तौल था जिसे विशेष रूप से आवरण से बाहर निकाला गया था। और शिकायतकर्ता को लक्षित किया। पीडब्लू-13 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा कि एक अर्ध-स्वचालित पिस्तौल को पहली बार हाथ से हथियार के फ्रेम को पीछे खींचकर फायरिंग मोड में लाया जाना चाहिए, ताकि गोली चलाई जा सके। इसके अलावा, शिकायतकर्ता और पीडब्लू-4 दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि गोली [2021] 10 एस. सी. आर. थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी द्वारा बर्खास्त किया गया। शिकायतकर्ता का कथन, कि यदि उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता और अपीलार्थी का हाथ नहीं पकड़ा होता, तो बंदूक, जो उसके चेहरे पर लक्षित थी, ने गोली को उतार दिया होता, जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होते। अपीलार्थी द्वारा स्थापित वैकल्पिक संस्करण अविश्वसनीय प्रतीत होता है कि उसने अपनी भरी हुई पिस्तौल को आवरण से बाहर निकाला, उस पर रख दिया।

शिकायतकर्ता की मेज, और उसे शिकायतकर्ता की इच्छा के अनुसार इसके साथ खेलने दें। [पारस 25,26] [1073-जी-एच; 1074-ए-एच; 1075-ए] 4. शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के संशोधन से पहले, शस्त्र (संशोधन) अधिनियम 1988 के अनुसार, उक्त प्रावधान को दंडित किया गया था।

किसी भी 'गैरकानूनी उद्देश्य' के लिए किसी भी हथियार और गोला-बारूद का उपयोग। हालाँकि, इसके संशोधन के बाद, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 सख्ती से नीचे उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन तक ही सीमित है।

शस्त्र अधिनियम की धारा 5 या 7 और हथियारों और गोला-बारूद का उपयोग करने का 'गैरकानूनी उद्देश्य' अब इसका एक अविभाज्य घटक नहीं है।

अपराध। घटना के समय अपीलार्थी एक पुलिस अधिकारी था और अपराध करने के लिए उपयोग किए गए हथियार और गोला-बारूद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी के तहत उसके कब्जे में रखे गए थे। अपीलार्थी के हथियार के अधिकृत कब्जे में होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने बिना लाइसेंस वाले हथियार का इस्तेमाल किया है, जैसा कि शस्त्र अधिनियम की धारा 5 के तहत निषिद्ध है। किसी लाइसेंस प्राप्त या स्वीकृत हथियार का अवैध उपयोग धारा 27 के तहत अपराध नहीं है।

5.1 चरों के दो समूहों के बीच अनुपात की समानता को अब आनुपातिकता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आधारशिला। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में सजा देने की नीति भी आनुपातिकता के स्वयंसिद्ध सिद्धांत पर आधारित है। सजा सुनाने में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने के लिए व्यवहार की समानता, आनुपातिकता के नियमों का अभिन्न अंग है। सजा के मुद्दे पर निर्णय लेते समय विवेक का एक तत्व मौजूद होता है, हालांकि, इसका प्रयोग गैर-सैद्धांतिक तरीके से नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने असमान दंड देने की प्रथा को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्हें सुरेंद्र सिंह बनाम।

राज्य (चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र)

अनुचित नरमी दिखाएँ, क्योंकि यह कानून की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कम कर देगा। सजा की मात्रा तय करते समय प्राथमिक जोर अपराध की गंभीरता या दंडात्मक मूल्य पर होना चाहिए। हालांकि, सजा को कम करने के लिए आधारों की सराहना सहित पुनर्वास न्याय मॉडल के अन्य मार्गदर्शक

तत्वों पर भी न्यायिक विवेक की अनुमेय सीमाओं के भीतर विधिवत विचार किया जाना चाहिए। [पारस 32-34] [1077-B, D-H]

एंड्रयू एशवर्थ, सजा और आपराधिक न्याय (5 वां संस्करण, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2010)-संदर्भित

को।

5.2 अपीलार्थी को दी गई सजा अब नहीं है

उस अपराध की डिग्री जो उसने किया है। अपीलार्थी को उसके जीवन के इस मोड़ पर कारावास की कठोरता से मुक्त करने से निम्नलिखित उपशमन के कारण न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी।

कारक - अभियोजन पक्ष द्वारा वर्तमान मामले में योजना का कोई उद्देश्य या तत्व साबित नहीं किया गया है जो इस संभावना का संकेत देता है कि अपराध अपीलार्थी द्वारा आवेग में किया गया हो सकता है; भले ही चोट के तथ्य का आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि पर सीधा असर न हो, लेकिन सजा सुनाने के समय अदालत द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह से आई. पी. सी. की धारा 307 के चारों कोनों के भीतर आता है, लेकिन सौभाग्य से न तो शिकायतकर्ता और न ही किसी अन्य व्यक्ति को अपीलार्थी के अप्रिय कार्य से चोट लगी; एक लंबे समय की अवधि के साथ एक स्वच्छ रिकॉर्ड, घटना से पहले और बाद दोनों निश्चित रूप से एक ऐसा कारक है जो सजा को कम करने की मांग करता है; इस विशेष घटना को छोड़कर जिसमें वह शराब के प्रभाव में था, अपीलार्थी का एक बेदाग सेवा रिकॉर्ड था; अंत में, अपीलार्थी को 1999 में निलंबित कर दिया गया था और बाद में 2007 में सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया था। यह शमन के लिए भी एक उचित कारक है क्योंकि बर्खास्तगी और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के परिणामी नुकसान को भी सामाजिक मंजूरी के रूप में माना जाता है। जबकि अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और सजा

शस्त्र अधिनियम की धारा 27 को दरकिनार कर दिया गया है, आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी गई है। हालाँकि आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत सजा को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि कर दिया गया है।

[पैरा 35,36] [1078-बी-एफ, एच; 1079-ए-ई] [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम @चामारू और

एन. आर. (2005) 5 एससीसी 554 [2005] 1 पूरक। एससीआर 562;

शिवाजी जेनु मोहिते बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1973) 3

एस. सी. सी. 219; बिपिन कुमार मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

(2010) 12 एससीसी 91: [2010] 8 एससीआर 1036-पर निर्भर। एम. पी. बनाम राज्य काशीराम और ओआरएस। (2009) 4 एससीसी 26:

[2009] 1) एस. सी. आर. 806; जाग राम और अन्य। बनाम राज्य

हरियाणा (2015) 11 एससीसी 366 [2015] 11 एससीआर 1004;

एम. पी. बनाम राज्य कान्हा @ओम प्रकाश (2019) 3 एससीसी

605 [2019] 1 एस. सी. आर. 1074-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2005] 1 पूरक। एससीआर 562

उस पर भरोसा करें

पैरा 18

[2009] 1 एससीआर 806

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2015] 11 एससीआर 1004

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2019] 1 एससीआर 1074

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2010] 8 एससीआर 1036

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2010 का No.2373।

उच्च न्यायालय के 19.05.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक अपील सं. 1564 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के एस. बी. 2006 .

जसबिर सिंह मलिक, सुश्री उषा नंदिनी। वी, एड. अपीलार्थी के लिए।

मनप्रीत सिंह दोआबिया, अनिल कुमार, सुदर्शन सिंह रावत,

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

1. अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह ने फैसले को चुनौती दी है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दिनांक 19 मई 2010, जिसके द्वारा 25 जुलाई 2006 को उसकी दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित किया गया

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ की पुष्टि की गई। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद 'आई. पी. सी.') की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया है।

राज्य (चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र) [सूर्या कांत, जे.]

(इसके बाद, 'शस्त्र अधिनियम'), और दोनों अपराधों के लिए 3 साल के कठोर कारावास की सजा, इस निर्देश के साथ कि सजाएं चलेंगी साथ-साथ।

तथ्य:

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 10 जुलाई 1999 को मंसूर अली, अधिवक्ता (शिकायतकर्ता) अपने आवासीय कार्यालय में बैठे थे। अपने क्लर्क मालेर सिंह (पीडब्लू-3) के साथ, अपने स्टेनो, आर. के. सूद (पीडब्लू-4) को निर्देश देते हुए। लगभग 5 बजे: 30 प्रधान मंत्री, अपीलार्थी, जो उस समय चंडीगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, के आवासीय कार्यालय में प्रवेश किया।

खड़े होने और हाथ उठाने की शिकायत करने वाला। उसी समय, उन्होंने मालेर सिंह और आर. के. सूद को कार्यालय से बाहर निकलने का निर्देश दिया, जिसका उन्होंने पालन किया। इस बीच, अपीलार्थी मेज के चारों ओर, शिकायतकर्ता की ओर बढ़ा, लीवर खींचा और खुद को गोली चलाने के लिए तैयार किया।

स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता अपीलार्थी पर झुक गया और उसका हाथ छत की ओर धकेल दिया, जिसके परिणामस्वरूप गोली, पिस्तौल से चलाई गई, कार्यालय की छत से टकरा गई। 3. अपीलार्थी ने फिर दूसरी बार गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहा और उक्त अभ्यास में उसकी पिस्तौल से एक गोली गिर गई। तब तक घर की महिलाएं दफ्तर में घुस चुकी थीं और शोर मचा चुकी थीं। घबराए हुए, अपीलकर्ता शिकायतकर्ता की मेज पर अपना वायरलेस सेट और घर के बाहर अपना स्कूटर छोड़कर कार्यालय से बाहर निकल गया। शिकायतकर्ता को कोई चोट नहीं लगी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के लगभग मिनटों बाद, पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और अपीलार्थी के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी कार्रवाई में जुट गए और अपीलार्थी को एस. आई. रमेश चंद (पीडब्लू-6) ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपीलार्थी को सेक्टर 20 ए की मस्जिद के पास पाया, जिसके हाथ में पिस्तौल थी। इसके बाद अपीलार्थी को चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया जहाँ उसने अपने मूत्र या रक्त के नमूने देने से इनकार कर दिया।

4. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जांच शुरू हुई, और पर्याप्त साक्षय के संग्रह पर, [2021] 10 एस. सी. आर. के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी। यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ को सौंपा गया था और आई. पी. सी. की धारा 307 और आई. पी. सी. की धारा 27 के तहत आरोप लगाए गए थे।

शस्त्र अधिनियम बनाया गया। अपीलार्थी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और मुकदमे का दावा किया। 5. अंतिम मुकदमे में, अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 14 गवाहों से पूछताछ की गई और 3 गवाहों का नेतृत्व बचाव पक्ष ने किया। का मामला

अभियोजन पक्ष घटना स्थल पर उपस्थित चश्मदीद गवाहों की गवाही पर बहुत अधिक निर्भर था, जिसमें शिकायतकर्ता (पीडब्लू-2) भी शामिल था, जो अपने बयान में एफ. आई. आर. में उसके द्वारा बताए गए घटनाओं के संस्करण के साथ खड़ा था। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से गवाही दी और स्वीकार किया कि यदि अपीलकर्ता उसके पास नहीं आया होता और बैठे हुए गोली नहीं मारी होती, तो वह अपीलार्थी को रोक नहीं पाता। शिकायतकर्ता ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी ओर बढ़ते हुए अपीलकर्ता लीवर खींचकर और अपने चेहरे पर निशाना लगाकर पिस्तौल को फायरिंग मोड में लाया, जिससे उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। इसी तरह, आर. के. सूद (पीडब्लू-4) ने शिकायतकर्ता के बयान की पुष्टि की और कहा कि उन्होंने कार्यालय के ठीक बाहर बरामदे में खड़े होकर अपीलार्थी द्वारा जालीदार तार वाले दरवाजे से गोली चलाए जाने को देखा। मालेर सिंह (पीडब्लू-3) ने हालांकि गोली चलाते हुए देखने से इनकार किया, लेकिन नशे की हालत में अपीलार्थी की उपस्थिति और गोली चलने की आवाज सुनने की पुष्टि की।

पी. डब्ल्यू.-4 के साथ बरामदे में रहते हुए उन्हें गोली मार दी गई थी।

6. डॉ. बिधी चंद (पीडब्लू-7) ने 7 बजे अपीलार्थी की जाँच की: 20 घटना के दिन एस. आई. रमेश चंद (पीडब्लू) द्वारा गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री

6) . इस गवाह ने 10 जुलाई 1999 (पूर्व जे. एम. एल. आर.) की मेडिको-कानूनी रिपोर्ट को स्वीकार किया और बयान दिया कि चिकित्सा जांच पर, अपीलार्थी को शराब के प्रभाव में पाया गया था।

7. श्री बी. बदानिया (पीडब्लू-13) का वक्तव्य भी कुछ महत्व रखता है। इस गवाह ने न्यायालय के समक्ष अपनी परीक्षा में, इस पर भरोसा किया

केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (संक्षेप में 'सी. एफ. एस. एल.') रिपोर्ट (उदा. पीडब्लू-13/ए) ने बयान दिया कि शिकायतकर्ता के आवासीय कार्यालय में पाया गया खाली कारतुस, फोरेंसिक जांच पर, साबित हुआ कि अपीलार्थी द्वारा इस्तेमाल की गई पिस्तौल से दागा गया था। अपने क्रूस में

परीक्षण, पीडब्लू-13 ने इस बात की गवाही दी कि अर्ध-स्वचालित या अर्ध-लोडर बंदूकें, जैसे कि अपीलार्थी द्वारा उपयोग किया जाने वाला हथियार, किस तरीके से कार्य करता है।

8. इसके विपरीत, अपीलार्थी ने अपने कथन की धारा 313 Cr.P.C के तहत घटनाओं के एक वैकल्पिक संस्करण का दावा करते हुए एक याचिका दायर की।

उन्होंने दावा किया कि सुरिंदर सिंह बनाम। राज्य (चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र) [सूर्या कांत, जे.]

शिकायतकर्ता ने हथियार उठाया और गलती से गोली चला दी। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने किसी भी आपराधिक दायित्व से खुद को बचाने के लिए घटनाओं का गलत संस्करण दर्ज किया था। मुकेश मित्तल (डी. डब्ल्यू.-1) ने भी अपीलार्थी के मामले का समर्थन करते हुए दावा किया कि शिकायतकर्ता ने घटना के ठीक बाद खुद डी. डब्ल्यू.-1 को बताया था कि उसने गलती से हथियार से गोली चला दी थी। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रतिवाद की गई घटनाओं के संस्करण को संदिग्ध पाया। जहाँ तक डी. डब्ल्यू.-1 का संबंध है, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान, वह यह साबित करने में असमर्थ था कि उसने कैसे या क्यों घटना के समय अपीलार्थी के घर के पास मौजूद था, और इस तरह विश्वास पैदा करने में विफल रहा।

9. चूंकि अपीलार्थी की उपस्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं है

घटना के समय शिकायतकर्ता के आवासीय कार्यालय में, या यह कि गोली उसकी सर्विस पिस्तौल से चलाई गई थी, महत्वपूर्ण सवाल

विचारण न्यायालय के समक्ष यह था कि क्या अपीलार्थी ने पिस्तौल चलाई थी, और यदि ऐसा है, तो शिकायतकर्ता को मारने के इरादे से इस्तेमाल किया गया हथियार था। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कुल मिलाकर,

अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन किया और कोई कारण नहीं बताया गया

यह दर्शाएँ कि शिकायतकर्ता अपीलार्थी को गलत तरीके से क्यों फंसाना चाहेगा। हालाँकि ट्रायल कोर्ट ने नोट किया कि इसमें कुछ विसंगतियाँ थीं हालाँकि, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों को समय बीतने के कारण स्वाभाविक रूप से लाए गए मामूली विरोधाभासों के रूप में माना गया था। अदालत ने बचाव पक्ष के संस्करण को "झूठ और कल्पना का एक टुकड़ा" पाया, और इसे अपने लेख में खारिज कर दिया।

संपूर्ण।

10. जहाँ तक शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप का संबंध है, निचली अदालत ने कहा कि अपीलार्थी ने अपना

बिना किसी पूर्व अनुमति के और अवैध उद्देश्य के लिए सर्विस पिस्तौल।

इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा गोलीबारी का कार्य शस्त्र अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन माना गया। इसलिए निचली अदालत ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया और 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

11. अपनी दोषसिद्धि से असंतुष्ट, अपीलार्थी ने एक

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील। उच्च न्यायालय ने साक्षय के पुनर्मूल्यांकन, निरंतर दोषसिद्धि और विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए परिणामी दंड को खारिज कर दिया और अपील करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. पीड़ित, अपीलार्थी अब इस न्यायालय के समक्ष है।

सामग्री:

13. हमने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकीलों को सुना है-काफी विस्तार से बताएँ और अभिलेख का अध्ययन किया।

गहराई में। अपीलार्थी की ओर से चार प्रमुख दलीलें उठाई गई हैं। सबसे पहले, कि की ओर से 'उद्देश्य' की अनुपस्थिति थी

या शिकायतकर्ता को मारने की इच्छा। दूसरा, इरादे का अभाव था, जिसे अपीलार्थी के आचरण से आरोपित नहीं किया जा सकता था। 14. तीसरा, साक्षय के पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से एक बार फिर संदेह पैदा करने की कोशिश की गई, जिसमें यह भी शामिल था कि

चश्मदीद गवाहों को भौतिक विरोधाभासों का सामना करना पड़ा, जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक था और यह भी कि पीडब्लू-3 से पीडब्लू-5 इच्छुक गवाह थे, वे शिकायतकर्ता के कर्मचारी थे। और, इसके विपरीत, धारा 313 Cr.P.C के तहत अपने बयान में अपीलार्थी का संस्करण घटनाओं का सही इतिहास था और अभियोजन पक्ष के कथन की तुलना में अधिक संभावित था। चौथा और अंत में, यह तर्क दिया गया कि शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषसिद्धि हथियार के रूप में टिकाऊ नहीं थी

15. दूसरी ओर, विद्वान राज्य वकील ने हमें समवर्ती निष्कर्ष के मामले में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश की याद दिलाई तथ्य और प्रचार किया कि इस अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल शामिल नहीं है।

विश्लेषण:

16. प्रतिद्वंद्वी को अपना विचारशील विचार देने के बाद

विवाद में, हम पाते हैं कि निम्नलिखित दो प्रश्न हमारे विचार के लिए आते हैं:

ए.

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपीलार्थी का? क्या धारा 27 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है

बी.

शस्त्र अधिनियम टिकाऊ है?

सुरिंदर सिंह बनाम। राज्य (चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र) [सूर्या कांत, जे.]

17. शुरुआत में इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि हालांकि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशाल शक्तियां निहित हैं,

परिस्थितियाँ। इसके बावजूद और न्याय के हित में, हमने यह पता लगाने के लिए रिकॉर्ड पर पूरे साक्षय का अध्ययन और चर्चा करने का प्रयास किया है कि क्या दोषसिद्धि का समवर्ती निष्कर्ष किसी विकृति से ग्रस्त है या नहीं और/या क्या अपीलार्थी की दोषसिद्धि कानूनी और तथ्यात्मक रूप से टिकाऊ है। उ. क्या आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपीलार्थी का अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ है?

18. इससे पहले कि हम तथ्यात्मक मैट्रिक्स का विज्ञापन करें या इसका आकलन करें

गवाहों की विश्वसनीयता, आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को घर लाने के लिए आवश्यक आवश्यक शर्तों के मामले में खुद को तैयार करना फायदेमंद होगा। मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम @चामारू और Anr.[1] के मामले में, इस न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 307 के वास्तविक महत्व की पुनः सराहना करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 12. इस धारा के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने में सक्षम शारीरिक चोट लगी हो। यद्यपि वास्तव में हुई चोट की प्रकृति अक्सर अभियुक्त के इरादे के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने में काफी सहायता दे सकती है, लेकिन इस तरह के इरादे का अनुमान अन्य परिस्थितियों से भी लगाया जा सकता है, और कुछ मामलों में, वास्तविक घावों के बारे में बिना किसी संदर्भ के भी पता लगाया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त के किसी कार्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। जहाँ तक हमला किए गए व्यक्ति का संबंध है, इस तरह के कार्य का कोई परिणाम नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें अपराधी इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। यह आवश्यक नहीं है कि हमले के पीड़ित को वास्तव में हुई चोट सामान्य परिस्थितियों में हमला किए गए व्यक्ति की मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अदालत को यह देखना है कि क्या अधिनियम, इसके परिणाम की परवाह किए बिना, इरादे या ज्ञान के साथ और संविधान में उल्लिखित परिस्थितियों में किया गया था।

अनुभाग। अपराधी होने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है

1 (2005) 5 एससीसी 554 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपान्त्य अधिनियम। यह कानून में पर्याप्त है, यदि एक मौजूद है

उसके निष्पादन में किसी स्पष्ट कार्य के साथ आशय।

13. यह धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है यदि

कुछ स्पष्ट कार्य के साथ एक इरादा मौजूद है

परिणाम, इरादे या ज्ञान के साथ किया गया था और इसके तहत खंड में उल्लिखित परिस्थितियाँ। इसलिए आरोपी

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत आरोपित को केवल बरी नहीं किया जा सकता है

क्योंकि पीड़ित को लगी चोटें प्रकृति में थीं एक साधारण चोट "।

(लागू किया गया

जोर)

19. इन अवयवों को कुछ में उच्चारण किया गया है

बाद के निर्णय, जिसमें एम. पी. बनाम राज्य शामिल हैं। काशीराम और Ors.[2], जाग राम और अन्य। बनाम। हरियाणा राज्य 3 और एम. पी. राज्य बनाम कान्हा @ओम प्रकाश।

20. यह अब तक एक स्पष्ट उक्ति है कि गठन के उद्देश्य से

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध, दो तत्व हैं जिन पर एक अदालत को विचार करना चाहिए, पहला, क्या आरोपी की ओर से पीड़ित की मौत का कारण बनने का कोई इरादा या जानकारी थी, और दूसरा, इस तरह के इरादे या जानकारी के बाद उसके निष्पादन में कुछ स्पष्ट कार्य किया गया था, इस बात की परवाह किए बिना कि पीड़ित को कोई चोट पहुंचाई गई है या नहीं। न्यायालय अभियुक्त के आचरण और अपराध की आसपास की परिस्थितियों से इस तरह के इरादे का अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति या चोट की प्रकृति, यदि कोई हो। जिस तरह से घटना हुई वह पीड़ित के विवेकपूर्ण पलायन से अधिक ज्ञानवर्धक हो सकती है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित को आकर्षित करने के लिए अपने जीवन के लिए खतरनाक चोट का सामना करना पड़े।

आईपीसी की धारा 307।

21. इस स्तर पर यह भी फलदायी होगा कि क्या

3 (2015) 11 एससीसी 366 4 (2019) 3 एस. सी. सी. 605 सुरिंदर सिंह बनाम

राज्य (चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र) [सूर्या कांत, जे.]

22. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 'उद्देश्य' 'उद्देश्य और साधन' से अलग है जो किसी कार्य को उत्तेजित या उत्तेजित करता है। 'इरादे' के विपरीत, 'मकसद' अपराध का पैमाना नहीं है। गलत उद्देश्य के साथ एक वैध कार्य एक अपराध नहीं होगा, लेकिन यह तब सच नहीं हो सकता है जब एक गैरकानूनी कार्य सर्वोत्तम उद्देश्य के साथ किया जाता है। 'उद्देश्य' का पता लगाना हाथ से मस्तिष्क-मानचित्रण के अभ्यास के समान है। कभी-कभी, किसी 'उद्देश्य' के निशान का पता लगाना कठिन कार्य बन जाता है।

23. इस न्यायालय ने बार-बार फैसला सुनाया है:

" कि यदि अभियोजन पक्ष एक प्रेरक उद्देश्य का पता लगाने में सक्षम नहीं है, जो एक गवाह की विश्वसनीयता पर प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है, तो वह एक विश्वसनीय चश्मदीद गवाह साबित हुआ। उद्देश्य के रूप में साक्ष्य, निस्संदेह, पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर मामलों में एक लंबा रास्ता तय करेगा। इस तरह के साक्ष्य ऐसे मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की शृंखला में एक कड़ी बनेंगे। लेकिन उन मामलों में ऐसा नहीं होगा जहां विश्वसनीयता के चश्मदीद गवाह हैं, हालांकि ऐसे

मामलों में भी यदि कोई मकसद ठीक से साबित हो जाता है, तो इस तरह के सबूत अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करेंगे और अदालत को अपने अंतिम निष्कर्ष में मजबूत करेंगे।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि उद्देश्य स्थापित नहीं होता है, तो एक चश्मदीद गवाह के साक्षय को अविश्वसनीय बना दिया जाता है। [देखिए: शिवाजी जेनु मोहिते बनाम। महाराष्ट्र और बिपिन राज्य

कुमार मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य "]

24. इस प्रकार हमारी यह सुविचारित राय है कि जबकि उद्देश्य अचूक रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है, और इसे स्पष्ट करने के लिए एक पर्याप्त सहायता है

हालाँकि, किसी अपराध को करना लेकिन उसकी अनुपस्थिति ऐसा सर्वोत्कृष्ट घटक नहीं है जिसे मामले के लिए घातक माना जा सके।

अभियोजन पक्ष, विशेष रूप से जब अन्य सभी कारक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हैं और दुर्व्यवहार की घटना के चश्मदीद गवाह रिकॉर्ड में होते हैं।

25. इन व्यापक मापदंडों को तथ्यों पर लागू करना और

हाथ में मामले की परिस्थितियों, हम अपीलार्थी द्वारा उठाई गई याचिका पाते हैं किसी भी योग्यता से रहित। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता को मारने की लालसा के लिए अपीलार्थी को किसी भी उद्देश्य के लिए जिम्मेदार ठहराने में विफल रहा है, हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल उद्देश्य की अनुपस्थिति अपीलार्थी के अपराध को त्याग नहीं सकती है। हम दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों के साथ एक हैं।

5 (1973) 3 एस. सी. सी. 219 6 (2010) 12 एससीसी 91 [2021] 10 एस. सी. आर.

कि अपीलार्थी का आचरण यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि उसकी कार्रवाई का उद्देश्य शिकायतकर्ता को समाप्त करना था, और आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत उसकी दोषसिद्धि पूरी तरह से उचित है।

26. हम निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहते हैं:

सबसे पहले, न तो घटना स्थल पर अपीलार्थी की उपस्थिति, और न ही इस तथ्य पर कि गोली उसकी सर्विस पिस्तौल के माध्यम से चलाई गई थी, अपीलार्थी द्वारा विवादित है। अन्यथा भी, श्री बी.

बदानिया (पीडब्लू-13) द्वारा तैयार की गई 15 सितंबर 1999 की सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट (पूर्व-पीडब्लू 13/ए) साबित करती है कि शिकायतकर्ता के कार्यालय से बरामद किया गया कारतुस

अपीलार्थी के कब्जे से बरामद सर्विस पिस्तौल से गोली चलाई गई थी;

दूसरा, मेडिको-कानूनी रिपोर्ट (उदा. जे. एम. एल. आर.) और डॉ. बिधी चंद (पीडब्लू-7) की गवाही शिकायतकर्ता (पीडब्लू-2), मालेर सिंह (पीडब्लू-3) और आर. के. सूद (पीडब्लू-4) के मौखिक संस्करणों की पुष्टि करती है, जिनमें से सभी ने अपने-अपने बयानों में शपथ ली है कि

तीसरा, शिकायतकर्ता और आर. के. सूद (पीडब्लू-4) दोनों ने स्पष्ट रूप से इस प्रभाव की गवाही दी है कि पानी पीने के बाद, अपीलार्थी ने अपनी पिस्तौल निकाली और शिकायतकर्ता पर निशाना साधा, जिसके बाद उसने मालेर सिंह और आर. के. सूद को मामले से बाहर निकलने का निर्देश दिया।

कमरा;

चौथा, हम यह भी ध्यान में रखते हैं कि उल्लंघन करने वाला हथियार एक अर्ध-लोडर/अर्ध-स्वचालित पिस्तौल था जिसे विशेष रूप से आवरण से बाहर निकाला गया था और शिकायतकर्ता को निशाना बनाया गया था। श्री बी. बदानिया (पीडब्लू-13) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि एक अर्ध-स्वचालित पिस्तौल को पहली बार हाथ से हथियार के ढांचे को पीछे खींचकर फायरिंग मोड में लाया जाना चाहिए, ताकि गोली चलाई जा सके। इसके अलावा, शिकायतकर्ता और आर. के. सूद (पीडब्लू-4) दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि

गोली अपीलार्थी द्वारा चलाई गई थी।

पाँचवाँ, शिकायतकर्ता का संस्करण, कि यदि उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता और अपीलार्थी का हाथ नहीं पकड़ा होता, तो बंदूक, जो उसके चेहरे पर लक्षित थी, ने गोली को उतार दिया होता, जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होते; और छठा और अंत में, अपीलार्थी द्वारा स्थापित वैकल्पिक संस्करण अविश्वसनीय प्रतीत होता है कि उसने अपनी भरी हुई पिस्तौल को आवरण से बाहर निकाल लिया, सुरिंदर सिंह बनाम।

राज्य (चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र) [सूर्या कांत, जे.]

इसे शिकायतकर्ता की मेज पर रख दें, और उसे शिकायतकर्ता की इच्छा के अनुसार इसके साथ खेलने दें। रिकॉर्ड में इस बात का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी ने अपने पक्ष को अपने वरिष्ठों के ध्यान में लाने के लिए कोई प्रयास किया, जैसा कि उसने धारा 313 Cr.P.C के तहत अपने बयान में दावा किया है।

27. नतीजतन, और पूर्व में बताए गए कारणों से, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को निर्विवाद रूप से दोषी ठहराया है।

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत आरोप।

ख. क्या शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि टिकाऊ है?

28. शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए, हमें ऐसा लगता है कि निचली अदालत ने उसकी दोषसिद्धि पर पहुंचने में गलती की है। इस बात का कोई लाभ नहीं है कि आरोप साबित करने के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत, अभियोजन पक्ष को अनिवार्य रूप से अधिनियम की धारा 5 या धारा 7 के उल्लंघन का प्रदर्शन करना चाहिए। तत्काल मामले में, हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने इसे शस्त्र अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन का मामला माना है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आग्नेयास्त्र का उपयोग नहीं करेगा, उसे अपने पास नहीं रखेगा, निर्माण आदि नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति इस संबंध में लाइसेंस न ले और न्यूनतम 3 साल के कारावास की सजा निर्धारित न करे। शस्त्र अधिनियम की असंशोधित धारा 5 और 27 के प्रासंगिक उद्धरण जो प्रासंगिक समय पर लागू थे, निम्नानुसार हैं:

गोला-बारूद। — [(1)] कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा (क) उपयोग, निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, रूपांतरण, मरम्मत, परीक्षण या

साबित करें, या

(ख) बिक्री या हस्तांतरण के लिए खुलासा या प्रस्ताव या उसके कब्जे में है।

बिक्री, हस्तांतरण, रूपांतरण, मरम्मत, परीक्षण या प्रमाण के लिए,

कोई आग्नेयास्त्र या ऐसे वर्ग या विवरण का कोई अन्य हथियार जो निर्धारित किया जाए या कोई गोला-बारूद, जब तक कि वह इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जारी लाइसेंस न रखता हो।

इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम।

[(2)] XXXX

27. हथियार आदि का उपयोग करने के लिए सजा। — (1) जो कोई भी धारा 5 का उल्लंघन करते हुए किसी भी हथियार या गोला-बारूद का उपयोग करता है, वह [2021] 10 एस. सी. आर. होगा।

कारावास से दंडनीय जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जो सात वर्ष तक बढ़ सकता है।

और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) जो कोई भी निषिद्ध या निषिद्ध हथियारों का उपयोग करता है

धारा 7 के उल्लंघन में गोला-बारूद एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो सात साल से कम नहीं होगा लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है।

और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(3) जो कोई भी निषिद्ध या निषिद्ध हथियारों का उपयोग करता है

गोला-बारूद या धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करता है और इस तरह के उपयोग या कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु से दंडनीय होगा।

29. यह सच है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के संशोधन से पहले, शस्त्र (संशोधन) अधिनियम 1988 के अनुसार, उक्त प्रावधान

किसी भी 'गैरकानूनी उद्देश्य' के लिए किसी भी हथियार और गोला-बारूद के उपयोग को दंडित किया। हालाँकि, इसके संशोधन के बाद, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 सख्ती से लागू होती है। शस्त्र अधिनियम की धारा 5 या 7 के तहत उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन और हथियारों का उपयोग करने के 'गैरकानूनी उद्देश्य' तक सीमित और

गोला-बारूद अब अपराध का एक अविभाज्य घटक नहीं है।

30. घटना के समय अपीलार्थी एक पुलिस अधिकारी था और अपराध करने के लिए उपयोग किए गए हथियार और गोला-बारूद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी के तहत उसके कब्जे में रखे गए थे। अपीलार्थी के हथियार के अधिकृत कब्जे में होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने बिना लाइसेंस वाले हथियार का इस्तेमाल किया है, जैसा कि शस्त्र अधिनियम की धारा 5 के तहत निषिद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय हथियार के अवैध उपयोग जैसे अप्रासंगिक विचारों से प्रभावित था, और संविधि के उद्देश्य का मार्ग खो चुका था, जो

कानून का पालन करने वाले नागरिकों को हथियार ले जाने में सक्षम बनाने के लिए, और कुछ श्रेणियों के आग्नेयास्त्रों के कब्जे, अधिग्रहण, निर्माण आदि को प्रतिबंधित करने के लिए, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत न किया जाए, एक लाइसेंस/नियामक व्यवस्था प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया। दूसरे शब्दों में, किसी लाइसेंस प्राप्त या स्वीकृत हथियार का अवैध उपयोग धारा के तहत अपराध नहीं है।

27 , शस्त्र अधिनियम की धारा 5 या 7 के तहत दुराचार को साबित किए बिना। सबसे अच्छा, यह सेवा नियमों के तहत एक 'कदाचार' हो सकता है, जिसका निर्धारण मुकदमे का विषय नहीं था।

31. पूर्व-वर्णित चर्चा के आलोक में, हम पाते हैं कि अपीलार्थी को दोषी ठहराने में विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय का आदेश सुरिंदर सिंह v.

राज्य (चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र) [सूर्या कांत, जे.]

शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत इस तरह की सजा को बनाए रखना है अनुचित और अन्यायपूर्ण। तदनुसार, अपीलार्थी को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप से बरी कर दिया जाता है।

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत सजा की मात्रा

32. चरों के दो समूहों के बीच अनुपात की समानता को अब आनुपातिकता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में सजा देने की नीति का आधार भी आनुपातिकता के स्वयंसिद्ध सिद्धांत पर आधारित है। अनुरूप सजा देने का यह सिद्धांत अपराधियों को उनके अपने अवैध आचरण और इससे जुड़े सामाजिक निंदा का मूल्यांकन करने में सक्षम एजेंटों के रूप में मानता है, जिसे उन्हें आनुपातिक सजा देकर सूचित किया जाता है। मूल्यांकन के लिए अभ्यास

' इस प्रकार 'आनुपातिकता' अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है जो इसके अनुसार निर्धारित की जाती है-(ए) गड़बड़ी के कारण या इसमें शामिल जोखिम।

अपराध; (बी) अपराधी का समग्र आचरण और; (सी) अपराध के लिए जिम्मेदार उद्देश्य। इसके अलावा, उपचार की समानता ताकि इसे समाप्त किया जा सके सजा सुनाने में भेदभावपूर्ण प्रथाएं, आनुपातिकता के नियमों का अभिन्न अंग हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून (ओं) के समक्ष समान अधिकार की गारंटी आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन को भी शामिल करती है।

33. यह कहने के बाद, हम इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकते हैं कि सजा के संबंध में पूर्ण स्थिरता प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए कि सजा के मुद्दे पर निर्णय लेते समय विवेक का एक तत्व मौजूद है, हालांकि, इसका उपयोग सिद्धांतहीन तरीके से नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने असमान दंड देने की प्रथा को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है, विशेष रूप से जो अनुचित नरमी दिखाते हैं, क्योंकि यह कानून की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कमजोर करेगा।

सजा को कम करने के लिए आधारों की सराहना पर भी न्यायिक विवेकाधिकार की अनुमेय सीमाओं के भीतर विधिवत विचार किया जाना चाहिए। न्यायसंगत और आनुपातिक सजा देना गंभीर कर्तव्य बना हुआ है - ' एंड्रयू एशवर्थ, सजा और आपराधिक न्याय (5 वां संस्करण, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस 2010)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालयों और उन्हें सजा की मात्रा तय करते समय गैर-प्रासंगिक कारकों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से, कौन से कारक होने चाहिए

'प्रासंगिक' या 'गैर-प्रासंगिक' के रूप में माना जाना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, और इसके लिए कोई सीधा सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

35. मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि इस स्तर पर, अपीलार्थी को दी गई सजा अब उस अपराध के स्तर पर नहीं है जो उसने किया है। अपीलार्थी को उसके जीवन के इस मोड़ पर कारावास की कठोरता से मुक्त करने से निम्नलिखित कम करने वाले कारकों के कारण न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी:

योजना का कोई उद्देश्य या तत्व साबित नहीं हुआ है

ए।

वर्तमान मामले में अभियोजन जो इस संभावना को इंगित करता है कि अपराध अपीलार्थी द्वारा आवेग में किया गया हो सकता है। इसलिए, ऐसी स्थितियों में अपराधी की दोषीता उस अपराध से कम है जिसे पूर्व नियोजित अपराधों में नियोजित अपराध के रूप में वर्णित किया गया है।

गैरकानूनी कार्य स्वाभाविक की तुलना में अधिक प्रतिबद्धता और निरंतरता के साथ सामाजिक मूल्यों पर हमले को दर्शाते हैं।

अवैध कार्य।

भले ही चोट के तथ्य में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है

बी।

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषी ठहराए जाने पर, सजा सुनाने के समय अदालत द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया अपराध

आई. पी. सी. की धारा 307 के चारों कोनों के भीतर आता है, लेकिन सौभाग्य से न तो शिकायतकर्ता और न ही कोई अन्य व्यक्ति

अपीलार्थी के अप्रिय कृत्य से आहत हुआ।

अपीलार्थी पहले ही 3 महीने की सजा काट चुका है।

सी।

और 19 दिन। इसके अतिरिक्त, 1999 में हुई घटना के बावजूद, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अपीलार्थी घटना से पहले या बाद में किसी भी अप्रिय गतिविधि में शामिल रहा है। यह अपीलार्थी के अच्छे चरित्र को उजागर करता है और इंगित करता है कि घटना को निर्णय की एक अलग चूक के रूप में व्याख्या की जा सकती है। इसके अलावा, अपीलार्थी के घटना के बाद के स्वच्छ व्यवहार से पता चलता है कि वह तर्कसंगत व्यक्ति है जो अपराध से जुड़ी सामाजिक निंदा का जवाब देने में सक्षम है। इसलिए, एन. डी. ई. आर. सिंह v से पहले और बाद में एक लंबे समय की अवधि के साथ-साथ एक साफ रिकॉर्ड।

राज्य (चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र) [सूर्या कांत, जे.]

घटना निश्चित रूप से एक कारक है जो शमन की मांग करता है

वाक्य।

इस विशेष घटना को छोड़कर जिसमें वह शराब के प्रभाव में था, अपीलार्थी के पक्ष में सोलह अच्छे उद्धरणों के साथ एक बेदाग सेवा रिकॉर्ड था। यह इंगित करता है कि वर्तमान आपराधिक घटना की तुलना में वह समाज का एक मूल्यवान सदस्य था। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालतों को सजा सुनाते समय एक सामाजिक तुलनपत्र तैयार करना चाहिए, बल्कि केवल इन सकारात्मक सामाजिक योगदानों को सजा को कम करने के लिए एक कारक के रूप में लेना चाहिए। अंत में, यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी को वर्ष 1999 में निलंबित कर दिया गया था और बाद में वर्ष 2007 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसलिए, इसे शमन के लिए एक उचित कारक के रूप में भी माना जाना चाहिए क्योंकि बर्खास्तगी और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के परिणामी नुकसान को भी सामाजिक सुरक्षा के एक रूप के रूप में माना जाता है।

मंजूरी।

इक्लूजन:

नतीजतन और पूर्व में बताए गए कारणों से, अपराधी को अनुमति दी गई। जबकि शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत टी को दी गई दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया गया है, आई. पी. सी. 307 पर उनकी दोषसिद्धि को बनाए रखा गया है। धारा 307 के तहत सजा को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि कर दिया गया है। चूंकि, अपीलार्थी को जमानत बांड से मुक्त कर दिया जाता है।

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।